


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक ०१/०६/२०१५

संख्या-२/एम०-१३०/२०१४-७०६(२)/स्वा०, अधिसूचना संख्या-६४८(२) दिनांक-१८.०५.२०१५ द्वारा राज्य के प्रत्येक प्राथमिक रेफरल इकाई (FRUs) एवं सदर अस्पताल में नियमित विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं संविदा पर नियोजित चिकित्सकों यथा शिशु रोग, स्त्री रोग, मुच्छक को स्थानान्तरित/पदस्थापित किया गया है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि अभी कतिपय विशेषज्ञ चिकित्सकों ने नव पदस्थापित स्थान/संस्थान में योगदान नहीं किया है। अतः उक्त अधिसूचना संख्या-६४८(२) दिनांक-१८.०५.२०१५ द्वारा स्थानान्तरित सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों को आज दिनांक-१.०६.२०१५ के अपराह्न से विरमित किया जाता है। उनके जून माह का वेतन/मानदेय नव पदस्थापित स्थान/संस्थान से ही भुगतान होगा।


(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-२/एम०-१३०/२०१४-७०६(२)

पटना, दिनांक ०१/०६/२०१५

प्रतिलिपि, सभी असेनिक शल्य चिकित्सक-सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना संख्या-६४८(२) दिनांक-१८.०५.२०१५ द्वारा स्थानान्तरित विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उनके जिला में योगदान करने संबंधी विवरणी प्रत्येक दिन विभागीय ई-मेल पर भेजे।



(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-२/एम०-१३०/२०१४-७०६(२)

पटना, दिनांक ०१/०६/२०१५

प्रतिलिपि, सभी जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-२/एम०-१३०/२०१४-७०६(२)

पटना, दिनांक ०१/०६/२०१५

प्रतिलिपि, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव